न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

द संख्या 72 / 2018

मादेवी पत्नी श्री गणेशदास जाति हर्ष निवासी मरूनायकजी का चौक, चौधरीयों का ली, बीकानेर।

.... वादीनी

बनाम

चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री शिवदास व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडड़ों का चौक, बीकानेर।

पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र व्यास पुत्रवधु स्व. शिवदास व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक, बीकानेर।

योगेन्द्र व्यास पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र व्यास पौत्र स्व. शिवदास व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक, बीकानेर।

कमलेश पुरोहित पत्नी श्री नवनीत पुरोहित पुत्री स्व. श्री देवेन्द्र व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक बीकानेर।

चित्रा किराडू पत्नी श्री कैलाश किराडू पुत्री स्व. श्री देवेन्द्र व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक बीकानेर।

/1. शिवशंकर उर्फ साबू पुत्र कुसुम हर्ष पत्नी श्री विजयशंकर व्यास निवासी भाटोलाई तलाई, बाबा रामदेव पार्क के पास, बीकानेर।

/2. अर्जुन पुत्र कुसुम हर्ष पत्नी श्री विजयशंकर व्यास निवासी भाटोलाई तलाई, बाबा रामदेव पार्क के पास, बीकानेर।

/3. शिवप्रताप उर्फ शिवजी पुत्र कुसुम हर्ष पत्नी श्री विजयशंकर व्यास निवासी भाटोलाई तलाई, बाबा रामदेव पार्क के पास, बीकानेर।

/4. श्यामसुन्दर पुत्र कुसुम हर्ष पत्नी श्री विजयशंकर व्यास निवासी भाटोलाई तलाई, बाबा रामदेव पार्क के पास, बीकानेर।

मा देवी पत्नी श्री गोपालकृष्ण हर्ष पुत्री स्व. शिवदास व्यास निवासी हर्षो का चौक, ीकानेर हाल हाल मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर।

गायत्री देवी रंगा पत्नी श्री नारायणदास रंगा पुत्री स्व. शिवदास व्यास निवासी भाटोलाई तलाई, बाबा रामदेव पार्क के पास, बीकानेर।

सुन्दर देवी व्यास पत्नी श्री केशरीसिंह व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक, बीकानेर।

श्रीमती लता रंगा पुत्री श्री केशरीसिंह व्यास निवासी आंचलियों का फलसा, भठ्ठडों का चौक, बीकानेर।

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, कोलायत।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं चिरनिशेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

उपस्थिति :-

1. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक वादिनी।
2. श्री राजीव पाण्डे, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. पैरोकारराज राज्य की और से उपस्थित।
4. शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही है।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 05/05/2022

09.07.2018 को विचाराधीन वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एंव सुसंगत तथ्य निम्नानुसार है कि आराजी संखरा नम्बर 5 तादादी 7.55 हैक्टर जिसमें साबिका खसरा नम्बर 15/1/4 तादादी 50 बीधा रहे है जो ग्राम मंगरेवाला तहसील कोलायत में स्थित है मे से वादिनी ने अपना 1/3 हिस्सा स्वयं अर्जित व पिता स्व श्री शिवदास व्यास द्वारा छोडी 1/3 हिस्से में विरासतन के आधार पर खाता तरसीम करना चाहा, वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रारम्भ में विवादित भूमि के सयुक्त खातेदार मु. सोनी देवी पत्नी बुलाकीदास, शिवदास व केसरीसिंह पुत्रगण बुलाकीदास बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/3 हिस्सा रहा था। 1/3 हिससे की हिस्सेदार श्रीमति सोनीदेवी ने अपना उक्त हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 12.12.1996 को वादिनी को विक्रय कर दिया तथा इस विक्रय के आधार पर वादिनी विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की सह खातेदार शिवदास व केसरीसिंह के साथ बन गयी। शिवदास व केसरीसिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 है। दुर्गादेवी पत्नी शिवदास जो वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 की सास व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की दादी, मृतक प्रतिवादी संख्या 6 व 7,8, की माता जी का भी देहान्त हो चुका है। वादिनी का अपनी खरीदशुदा 1/3 हिस्से की साथ-साथ अपने पिता शिवदास द्वारा छोडी जमीन में प्रतिवदी संख्या 1 ता 8 के साथ हिस्सा है। चुकि खाता शामिलात होने से जमीन काश्त करने एवं जमीन का अन्य प्रकार के विकास करने एवं कई की व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होती रहती है तथा इसें लेकर पक्षकारान के मध्य मन मुटाव भी बना रहता है। वादिनी ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से जमीन का विभाजन करवाने हेतु कहा लेकिन वे स्पष्ट रूप से मना हो गये तथा विभाजन करायें जमीन जेर वाद का विक्रय अन्य शख्स को करने हेतु आमादा एवं तत्पर है। जिनका कोई अधिकार उन्हे नही है। अतः वादिनी ने अपने हिस्से आयी जमीन का खाता अलग कायम कर विभाजन करवाने एवं चुकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में वादिनी के साथ दखलदाजी कर रहे है, को स्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित करने का भी निवेदन किया।

3. इस वाद में प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकियात दिलाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से श्री राजीव पाण्डे एडवोकेट ने दिनांक 21.12.2021 को उपस्थित आकर अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5, 6/1 ता 6/4 व 7 ता 10 रजिस्टर्ड एडी से तलब

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

किया गया। लेकिन 30 दिवस कानूनी अवधि मे न तो उनकी पावती लौटकर आयी ना ही असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आयें। अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे ली गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वाद पत्र मे दर्ज तथ्यों को स्वीकार किये तथा खाता विभाजन मे अपनी सहमति प्रकट की।

4. बहस योग्य अभिभाषक वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के योग्य अभिभाषक की विभाजन की प्राथमिक डिग्री पर सुनी गयी एवं पत्रावली का आधोपांत अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। बैयनामा सोनी देंवी पत्नी बुलाकीदास बहक रामादेवी दिनांक 12.12.1996 की चित्र प्रति, पासबुक, नक्ल नक्शा, किश्तवार ग्राम मगरेवाला की चित्र प्रतिया व ग्राम मगरेवाला की सवंत 2073 से 2076 तक की जमाबन्दी की फोटोस्टेट प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से प्रकट है कि वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 सयुक्त रूप से खातेदार के रूप से अंकित है। एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार को अपने हिस्से आयी जमीन का खाता विभाजन कर अलग से कायम करवाने का पुरा कानूनी हक प्राप्त है। इस प्रकार खाता विभाजन किये जाने में कोई कानूनी अड़चन आनी प्रतीत नही हो रही है। अतः वादिनी का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है जिसे स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन की प्राथमिक डिग्री इस प्रकार पारित की जाती है कि तहसीलदार राजस्व कोलायत को विवादित भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर यह आदेश दिये जाता है कि वादिनी एवं प्रतिवादी संख्य 1 ता 10 के मध्य उनके हिस्से आयी जमीन का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात अच्छी से अच्छी व माडी से माड़ी का विभाजन कर उनके खाते अलग–अलग कायम किये जावें। इस आशय के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर 15 योंम में इस न्यायालय में भिजवायें ताकि पक्षकरान के मध्य विभाजन की फाईनल डिग्री दी जानी मंजूर की जा सकें। निर्णय एव डिग्री की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

799
05/05/2022

निर्णय डिक्री की प्रति तहसीलदार राजस्व, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत